राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	145/2018 भरतलाल बनाम रामोतार 39/2018 पप्पूलाल बनाम रामोतार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.25	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दोनों अपील पत्रावलीयो पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि घोषणा के वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के विरुद्ध यह दोनों अपीले इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिसके सन्दर्भ में उभयपक्षों द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थित उभयपक्षों की सहमति के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान किया गया है एवं चूँकि मूल प्रकरण घोषणा से सम्बन्धित है, ऐसे में घोषणा के बिन्दु का निस्तारण होने तक प्रश्नगत आराजी के स्वरूप व स्थिति को कायम रखा जाना उपयुक्त रहता है ताकि पक्षकारान के मध्य नवीन विवाद उत्पन्न होकर प्रकरण में जटिलता नही बढ़े। अत: ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28/06/2016 में कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से उसे यथावत रखा जाकर दोनों अपीले 39/2018 व 145/2018 अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है। पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

अपील प्राधिकारी राजस्व जयपुर